



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276217
CG-DL-E-15092026-276217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4804]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 4804]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4994(अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के तहत जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.465 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2002 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 के क्रमशः किमी. 292.400 से किमी. 306.400 (करूर बाईपास) और किमी. 306.400 से किमी. 446.800 (सलेम-मदुरै खंड) के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, परवर्ती संशोधनों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 1436 (अ) दिनांक: 10 जून, 2009 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-07 (नई सं. 44) के करूर से डिंडीगुल खंड के किमी 290.000 से किमी 367.725 (वर्तमान में किमी 292.600 से किमी 373.275 तक) के चार लेन के खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 70.921 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी2-] और 11.04 किमी (1.104 किमी लंबाई वाली [सारणी-4]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2)

में विनिर्दिष्ट आधार दर से और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 5.70 किमी किलोमीटर लंबाई वाले बाईपास [सारणी -3] के लिए आधार दर का डेढ़ गुणा दर से शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	जिस दर पर शुल्क लिया जाता है
तमिलनाडु राज्य के करूर जिले के वेलंचेट्टियूर गांव, एनएच-44 के डिज़ाइन किमी 332.000 पर।	70.921 किमी (10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले बाईपास की लंबाई और 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा : -

सारणी -3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर, जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में स्थित वेलंचेट्टियूर गांव, एनएच-44 के डिज़ाइन 332.000 किमी पर।	वेदासंदूर बाईपास	डिज़ाइन किमी.349.500 (मौजूदा किमी 355.500)	डिज़ाइन किमी.355.200 (मौजूदा किमी 361.200)	5.70	43.50 करोड़	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके संरचनाओं की लंबाई राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा (चेनेज) का अवस्थान	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में स्थित वेलंचेट्टियूर गांव, एनएच-44 के डिज़ाइन 332.000 किमी पर।	1.104 [^]	11.04	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किलोमीटर में)
	किमी से	किमी तक		
1	294.409	294.765	आरओबी	0.356
2	295.599	295.674	फ्लाईओवर	0.075
3	297.791	298.209	बड़ा पुल	0.418
4	312.169	312.362	बड़ा पुल	0.193
5	361.749	361.811	बड़ा पुल	0.062
कुल लंबाई				1.104

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00/-रूपए (तीन सौ साठ रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी - 5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफ़ा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यत की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तिथि से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1145.06 करोड़ रुपये है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फ़ा. सं. टीएनडीआईवी-12011/1/2026-पीआईयू डिंडीगुल/ई-268827]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4994(E).— Whereas, vide notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government had entrusted the stretch from Km. 292.400 to Km. 306.400 (Karur bypass) and km 306.400 to Km 446.800 (Salem–Madurai section) respectively of National Highway No. 7 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of rates and Collection) Rules, 2008 and subsequent amendments (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of the notification S.O. 1436(E) dated 10.06.2009, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column(2) of the Table 1 for net road section length of 70.921 Km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 11.04 Km (having length of 1.104 Km [Table-4]) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 5.70Km (Table 3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) Table-1 below for use of the four laning of Karur to Dindigul section from Km 290.000 to Km 367.725 (Existing at Km.292.600 to Km 373.275) of NH-07 (New No.44) in the State of Tamil Nadu and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table -1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (In Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicles, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three - axle commercial vehicles	2.40
Heavy construction machinery (HCM), Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or More Axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza(chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At design Km 332.000 of NH-44, Velanchettiyur Village, Karur District in the state of Tamilnadu.	70.921 Km (Exculding length Bypass costing > 10 Cr, & Length of Structures More than 60m)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional Fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At design Km 332.000 of NH-44, Velanchettiyur Village, Karur District in the state of Tamilnadu.	Vedasandur Bypass	Design Km.349.500 (existing Km 355.500	Design Km.355.200 (existing Km 361.200	5.70	43.50cr	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60mt the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At design Km 332.000 of NH-44, Velanchettiyur Village, Karur District in the state of Tamilnadu.	1.104^	11.04	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

S.No	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	294.409	294.765	ROB	0.356

2	295.599	295.674	Flyover	0.075
3	297.791	298.209	Major bridge	0.418
4	312.169	312.362	Major bridge	0.193
5	361.749	361.811	Major bridge	0.062
Total length				1.104

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.360/- (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the Fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1145.06 crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. TNDIV-12011/1/2026-PIU Dindigul/E-268827]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.